

24/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा की आदेश
न्यायालय विधि 2026 / 42033 दिनांक 13/2/25
12-2026 की पालना में न्यायालय प्रशासनिक
कोष (8/25) में स्वामत्तवित होकर प्रशासनिक
साथक कलेक्टर भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है पत्रावली
द से / प्रार्थना क्र 118/25 मिलीबंद किया जाकर
न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई
दिनांक 27.6.26 को पेश हो

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

23/6/25

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2026/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा
न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
होकर वास्तु सुनवाई को वास्तु सुनवाई तालिका किया
जाकर कार्यवाही को वास्तु सुनवाई तालिका में दर्ज किया गया है। पत्रावली को
का संपर्क में आने पर न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी को न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी 1956 की
धारा 210 (3) में न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी को न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी पत्रावली को
में कतिब न्याय प्रदा करने के लिए न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी को न्यायालय प्रशासनिक अधिकारी पत्रावली को
दिनांक 17/7/25 को पेश हो।

प्रति 6.7
गणेश जी
हस्त हो रही
है
पु.प्र.प.प.

17/7/25

की पेश हुई उभयपक्ष
प्राथमिक अधिकारी अन्य कार्य के अन्त
अवकाश में है। पत्रावली सांख्यिक अन्त
दिनांक 21/8/25 को पेश हो।
अध्यापक

सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

5/8/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना - अग्रार्थी आदि. उप.।
प्रार्थी द्वारा उल्लूत मूल बाद अग्रार्थी 75/2425 उतवान
गोपाल ब्रह्म गणेश व अ-प्र अ-अर्थात धारा 88,
89, 53, 54, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
की निर्णित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उल्लूत मूल
बाद निर्णित होने से प्रार्थी द्वारा उल्लूत जर्जिंग पत्र
अन्तर्गत धारा 812 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
में कोई अनुलोप दिनांक वाना सम्भव नहीं है। अतः
प्रार्थी द्वारा उल्लूत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
की धारा 812 को खारिज किया जाता है। निर्णय

— लगातार — 5/8/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. २१८/२५

जीमाल उमयाज गणेश

संख्या य तारीख
प्रकरण सं जो इस
दस्तावे की तारीख
में जारी था

दिनांक

हुकम या कार्यवाही में इनिशियल जज

5/8/25

करे इवलास सुनाया गया परावसी लेसल शुमार
देकर वार्षिक फातर ही लका नम्बर से कम हो।


5/8/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा